



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271811
CG-DL-E-15042026-271811

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1815]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 1815]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

का.आ. 1884(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए दो बड़े आकार वाले माँड्यूल : पहला माँड्यूल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल), हरिद्वार से लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पुसोर गांव, छपोरा, रायगढ़, छत्तीसगढ़- 496440 तक और दूसरा माँड्यूल ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मनोर-वाडा पालघर से हज़ीरा बंदरगाह, गुजरात तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल वाहन भार और आयाम इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उपर्युक्त परिवहन कार्यों के लिए दो बड़े आकार वाले माँड्यूल माल की ढुलाई करने वाली मेसर्स ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बीएचईएल के लिए ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्रमुख वाहन (प्राइम मूवर्स) का उपयोग संबंधित माल ढुलाई में किया जाएगा, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
01.	एमएच46बीबी5843	मैन 300एचपी
02.	एमएच46बीएफ0710	मैन 300 एचपी
03.	एमएच46एच2194	वोल्वो 400 एचपी
04.	एमएच46बीएम3703	वोल्वो 460 एचपी
05.	जीजे06बीटी2184	वोल्वो 469 एचपी
06.	एमएच46बीयू0130	वोल्वो 500 एचपी
07.	जीजे06बीवी2071	वोल्वो 500 एचपी
08.	जीजे06बीवी0305	टाटा प्राइमा 300एचपी
09.	जीजेओ6बीवी5703	आइशर 350 एचपी
10.	जीजेओ6बीवी9313	आइशर 350 एचपी
11.	जीजेओ6बीएक्स0086	आइशर प्रो 350 एचपी
12.	जीजेओ6बीएक्स2628	आइशर प्रो 350 एचपी
13.	जीजेओ6बीएक्स2776	वोल्वो 500 एचपी
14.	एमएच46बीयू0170	वोल्वो 500 एचपी
15.	जीजे12बीडब्ल्यू8980	वोल्वो 460एचपी
16.	जीजे12बीवाई0452	वोल्वो 460एचपी
17.	जीजे12बीजेड4944	वोल्वो 500एचपी
18.	जीजे12एजेड8658	वोल्वो 400एचपी
19.	जीजे39टी2972	वोल्वो 500एचपी

(क्रम संख्या 1-14: माँड्यूल-02 के परिवहन के लिए जीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मनोर-वाडा, पालघर से हज़ीरा बंदरगाह, गुजरात मार्ग पर प्राइम मूवर का उपयोग किया जाएगा और क्रम संख्या 15-19: स्टेटर के परिवहन के लिए बीएचईएल, हरिद्वार से लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पुसोर गांव, छपौरा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ मार्ग पर ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा।)

3. उपरोक्त आवाजाही में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत माँड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा :-

क्र.सं.	ट्रेलरों का पंजीकरण क्रमांक	मेक	ट्रेलरों की धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
01.	एमएच46एच2391	गोल्डहोफर	3	78
02.	एमएच46एच2392	गोल्डहोफर	4	104
03.	एमएच46एच2393	गोल्डहोफर	6	156
04.	एमएच46एच2394	गोल्डहोफर	7	182
05.	एमएच43यू6391	गोल्डहोफर	3	78
06.	एमएच43यू6392	गोल्डहोफर	3	78
07.	एमएच43यू6393	गोल्डहोफर	3	78
08.	एमएच43यू6394	गोल्डहोफर	4	104
09.	एमएच43यू6395	गोल्डहोफर	5	130

10.	एमएच43यू6396	गोल्डहोफर	6	156
11.	डीडी01पी9421	गोल्डहोफर	3	78
12.	डीडी01पी9752	गोल्डहोफर	3	78
13.	एमएच46बीएफ0661	वीएमटी	4	72
14.	एमएच46बीएफ0662	वीएमटी	4	72
15.	एमएच46बीएफ2184	वीएमटी	4	72
16.	एमएच46बीएफ1774	वीएमटी	4	72
17.	एमएच46बीएफ1775	वीएमटी	4	72
18.	एमएच46बीएफ1776	वीएमटी	2	36
19.	एमएच46बीएफ1751	वीएमटी	2	36
20.	जीजे06बीटी8472	टीआईआई	4	72
21.	जीजे06बीटी8309	टीआईआई	4	72
22.	जीजे06बीटी8267	टीआईआई	6	108
23.	जीजे06बीटी8104	टीआईआई	6	108
24.	जीजे06बीटी9250	टीआईआई	6	108
25.	जीजे06बीवी6258	टीआईआई	4	72
26.	जीजे06बीवी6324	टीआईआई	6	108
27.	जीजे06बीवी6180	टीआईआई	6	108
28.	जीजे06बीवी6145	टीआईआई	4	72
29.	जीजे06बीटी9485	टीआईआई	4	72
30.	जीजे12बीजेड2748	ट्रेटेक	3	54
31.	जीजे12बीजेड2978	ट्रेटेक	4	72
32.	जीजे12बीजेड2661	ट्रेटेक	3	54
33.	जीजे06बीजेड2897	ट्रेटेक	4	72
34.	जीजे12बीजेड2585	ट्रेटेक	4	72
35.	जीजे06बीजेड2559	ट्रेटेक	4	72
36.	जीजे06बीजेड2573	ट्रेटेक	4	72
37.	जीजे12बीजेड2761	ट्रेटेक	6	108
38.	जीजे12बीजेड2628	ट्रेटेक	4	72
39.	जीजे06बीजेड2772	ट्रेटेक	4	72
40.	एचआर38एबी4422	टीआईआई	4	72
41.	एचआर38एबी9745	टीआईआई	6	108
42.	एचआर38एफ1243	गोल्डहोफर	4	72
43.	एचआर38एफ2618	गोल्डहोफर	6	108
44.	एचआर38ई9822	टीआईआई	4	72
45.	एचआर38ई6367	टीआईआई	6	108

46.	एचआर58डी5414	गोल्डहोफर	6	108
47.	एचआर58डी9642	गोल्डहोफर	4	72
48.	एचआर58ई2802	गोल्डहोफर	6	108
49.	एचआर58एफ4215	गोल्डहोफर	6	108
50.	एचआर38जेड5114	टीआईआई	4	104
51.	एचआर38जेड7506	टीआईआई	6	156
52.	जीजे12बीवाई3649	वीएमटी	4	72
53.	जीजे12बीवाई3704	वीएमटी	4	72
54.	जीजे12बीवाई6452	वीएमटी	4	72
55.	जीजे12बीवाई9024	वीएमटी	4	72
56.	जीजे12बीजेड0212	वीएमटी	6	108
57.	जीजे12बीजेड0608	वीएमटी	6	108

(क्र.सं.1-39 ट्रेलरों का उपयोग ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मनोर-वाडा, पालघर से हज़ीरा बंदरगाह, गुजरात मार्ग पर माँड्यूल-02 के परिवहन के लिए किया जाएगा और क्र.सं.40-57 ट्रेलरों का उपयोग बीएचईएल, हरिद्वार से लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पुस्सोर गांव, छपोरा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ मार्ग पर स्टेटर के परिवहन के लिए किया जाएगा।)

4. वाहन और भार विन्यास:- लदान स्थिति में धुरियों का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) और माल का समग्र आयाम निम्नलिखित होगा:-

क्र.सं.	मात्रा	खेप का नाम	धुरियों का लदान मीट्रिक (एमटी) में	खेप का वजन मीट्रिक टन (एमटी)	वाहन का लदान भार (मीट्रिक टन)	प्रति एक्सल लाइन भार (एमटी)	वाहन की भारित ऊंचाई (मीटर में)	माल की कुल आकार (मीटर में)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
								लंबाई (एम)	चौड़ाई (एम)	ऊंचाई (एम)	
i	1	स्टेटर	222एमटी	466.26 मीट्रिक टन	688.26 मीट्रिक टन	21.50	6.200	10.880	5.104	4.950	16 एक्सल पंक्तियाँ + गर्डर पुल + 16 एक्सल पंक्तियाँ (32 एक्सल पंक्तियों के बराबर) सीधी रेखा में युग्मित की जाएंगी (प्रति एक्सल पंक्ति 8 टायर)।
ii	1	माँड्यूल 02	63एमटी	144एमटी	207 मीटर	17.25	9.450	10.250	4.800	7.900	प्रत्येक पंक्ति में 12 डेढ़ धुरे, 12 धुरे (प्रत्येक धुरे की पंक्ति में 12 टायर)

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

i. दो बड़े आकार के माल की ढुलाई के लिए विशिष्ट मार्ग:-

(क) ज़ीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वाडा-मनोर-चिल्हार-चारोती-तलासारी-भिलाड-वापी-किला पारदी-वलसाड-डूंगरी-चिखली-नवसारी-पलसाना-अभवा-लिमला-हज़ीरा-अडानी बंदरगाह, हज़ीरा।

(ख) हरिद्वार-मेरठ-मथुरा-आगरा-धौलपुर-मोनरेना-ग्वालियर-डबरा-दतिया-झांसी-ललितपुर-सागर-नरसिंगपुर-सिवनी-नागपुर-भंडरा-सकोली-दुर्ग-रायपुर-सिमगा-बिलासपुर-दर्राघाट-रायगढ़-लारा।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकरणों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकरणों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा ट्रेलरों की आवाजाही को अनुमोदित किया जाएगा और कड़ी निगरानी की जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा, जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, वाहनों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, खंभो, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराने इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में अपने आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स एक्सप्रेस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर, बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक आवाजाही के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में सड़क कर (रोड टैक्स) का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

- (xiv) टैलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (xvi) संबंधित माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
- (xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।
- (xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरबी, अंडरपास न हों जो संबंधित आवागमन में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न करते हों, अथवा इस अनुमति में आरबी/एफओबी/ओवरपास शामिल नहीं होंगे, इसके लिए आवेदक को ओडीसी/ओडब्ल्यूसी के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाना होगा।
- (xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01 /2010-एस एंड आर (बी) पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/08/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2026

S.O. 1884(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of two over dimension Modules one from BHEL, Haridwar to Lara Super Thermal Power project, Pussore, Village, Chhapora, Raigarh Chattisgarh- 496440 and one module from Zeeco India Pvt. Ltd., Manor-Wada Palghar to Hazira Port Gujarat by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Express Global Logistics Pvt. Ltd. is the transporter of M/s Zeeco India Pvt. Ltd and BHEL for transportation of two over dimensional consignment for the aforesaid movements.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
01.	MH46BB5843	MAN 300HP
02.	MH46BF0710	MAN 300 HP
03.	MH46H2194	VOLVO 400 HP
04.	MH46BM3703	VOLVO 460 HP
05.	GJ06BT2184	VOLVO 469 HP
06.	MH46BU0130	VOLVO 500 HP
07.	GJ06BV2071	VOLVO 500 HP
08.	GJ06BV0305	TATA PRIMA 300HP
09.	GJO6BV5703	EICHR 350 HP
10.	GJO6BV9313	EICHR 350 HP
11.	GJO6BX0086	EICHR Pro 350 HP
12.	GJO6BX2628	EICHR Pro 350 HP
13.	GJO6BX2776	VOLVO 500 HP

14.	MH46BU0170	VOLVO 500 HP
15.	GJ12BW8980	VOLVO 460HP
16.	GJ12BY0452	VOLVO 460HP
17.	GJ12BZ4944	VOLVO 500HP
18.	GJ12AZ8658	VOLVO 400HP
19.	GJ39T2972	VOLVO 500HP

(S.No. 1-14 Prime mover shall be used in Zeeco India Pvt. Ltd. Manor-Wada Palghar to Hazira Port, Gujarat route for transportation of Module-02 and S.No. 15-19 trailers shall be used in BHEL, Haridwar to Lara Super Thermal Power project, Pussore, Village, Chhapora, Raigarh Chattisgarh route for transportation of stator)

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
01.	MH46H2391	GOLDHOFER	3	78
02.	MH46H2392	GOLDHOFER	4	104
03.	MH46H2393	GOLDHOFER	6	156
04.	MH46H2394	GOLDHOFER	7	182
05.	MH43U6391	GOLDHOFER	3	78
06.	MH43U6392	GOLDHOFER	3	78
07.	MH43U6393	GOLDHOFER	3	78
08.	MH43U6394	GOLDHOFER	4	104
09.	MH43U6395	GOLDHOFER	5	130
10.	MH43U6396	GOLDHOFER	6	156
11.	DD01P9421	GOLDHOFER	3	78
12.	DD01P9752	GOLDHOFER	3	78
13.	MH46BF0661	VMT	4	72
14.	MH46BF0662	VMT	4	72
15.	MH46BF2184	VMT	4	72
16.	MH46BF1774	VMT	4	72
17.	MH46BF1775	VMT	4	72
18.	MH46BF1776	VMT	2	36
19.	MH46BF1751	VMT	2	36
20.	GJ06BT8472	TII	4	72
21.	GJ06BT8309	TII	4	72
22.	GJ06BT8267	TII	6	108
23.	GJ06BT8104	TII	6	108
24.	GJ06BT9250	TII	6	108
25.	GJ06BV6258	TII	4	72
26.	GJ06BV6324	TII	6	108
27.	GJ06BV6180	TII	6	108
28.	GJ06BV6145	TII	4	72
29.	GJ06BT9485	TII	4	72
30.	GJ12BZ2748	TRATEC	3	54

31.	GJ12BZ2978	TRATEC	4	72
32.	GJ12BZ2661	TRATEC	3	54
33.	GJ06BZ2897	TRATEC	4	72
34.	GJ12BZ2585	TRATEC	4	72
35.	GJ06BZ2559	TRATEC	4	72
36.	GJ06BZ2573	TRATEC	4	72
37.	GJ12BZ2761	TRATEC	6	108
38.	GJ12BZ2628	TRATEC	4	72
39.	GJ06BZ2772	TRATEC	4	72
40.	HR38AB4422	TII	4	72
41.	HR38AB9745	TII	6	108
42.	HR38AF1243	GOLDHOFER	4	72
43.	HR38AF2618	GOLDHOFER	6	108
44.	HR38AE9822	TII	4	72
45.	HR38AE6367	TII	6	108
46.	HR58D5414	GOLDHOFER	6	108
47.	HR58D9642	GOLDHOFER	4	72
48.	HR58E2802	GOLDHOFER	6	108
49.	HR58F4215	GOLDHOFER	6	108
50.	HR38Z5114	TII	4	104
51.	HR38Z7506	TII	6	156
52.	GJ12BY3649	VMT	4	72
53.	GJ12BY3704	VMT	4	72
54.	GJ12BY6452	VMT	4	72
55.	GJ12BY9024	VMT	4	72
56.	GJ12BZ0212	VMT	6	108
57.	GJ12BZ0608	VMT	6	108

(S.No. 1-39 trailers shall be used in Zeeco India Pvt. Ltd. Manor-Wada Palghar to Hazira Port, Gujarat route for transportation of Module-02 and S.No. 40-57 trailers shall be used in BHEL, Haridwar to Lara Super Thermal Power project, Pussore, Village, Chhapora, Raigarh Chattisgarh route for transportation of stator)

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Quantity	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i	1	Stator	222MT	466.26MT	688.26MT	21.50	6.200	10.880	5.104	4.950	16 axle rows+Girder Bridge + 16 axle rows (equivalent to 32 axle rows) will be Coupled in straight line(8 tyres per axle row)
ii	1	Module 02	63MT	144MT	207Mt	17.25	9.450	10.250	4.800	7.900	12 one & half axles in each row, 12 axles (12 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

i. The specific routes for transportation of two over dimensional consignment:-

(a) Zeeco India Pvt Ltd., Wada-Manor- Chilhar-Charoti-Talasari-Bhilad-Vapi-Killa Pardi-Valsad-Dungri-Chikhli-Navsari-Palsana- Abhva-Limla-Hazira-Adani Port, Hazira.

(b) Haridwar-Meerut-Mathura-Agra-Dholpur-Monrena-Gwalior-Dabra-Datiya-jhanshi –Lalitpur-Sagar-Narsingpur-Seoni-Nagpur-Bhandra-Sakoli-Durg-Raipur-Simga-Bilash pur -Darrighat-Raighar-Lara.

ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.

iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.

iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Express Global Logistics Pvt. Ltd..

v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.

vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.

viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.

ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.

xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.

xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Maharashtra, Gujarat, Haryana and union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.

xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.

xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs, RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the applicant shall make diversions for movement of ODC/OWC.

xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/08/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.